

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक 3233/कोरोना सेल/2020

रायगढ़ दिनांक 17/अप्रैल/2020

कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के लॉकडाउन के दौरान ताजे फल एवं सब्जी की घर पहुंच सेवा देने हेतु चिप्स द्वारा एक वेब पोर्टल यू.आर.एल. <http://cgghaat.in> बनाया गया है। जिसमें दुध किराना सामान आदि अन्य वस्तुएं भी जोड़ी गयी है। उक्त पोर्टल का उपयोग करने के लिये ग्राहक अपना ऑनलाईन पंजीयन करके लागिन करेंगे और सीधे वेण्डरों को पोर्टल पर ही ऑर्डर दे सकेंगे एवं ऑर्डर ट्रेकिंग के लिए एस.एम.एस नोटिफिकेशन की व्यवस्था है, जिसके समुचित मॉनिटरिंग एवं सफल क्रियान्वयन हेतु सुश्री सीमा पात्रे, डिप्टी कलेक्टर, रायगढ़ (मो0नं0-83193-86575) को जिला एडमिन नियुक्त करते हुए, उनके तकनीकी सहयोग हेतु निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारी को एतद् द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त इयूटी लगाई जाती है :-

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	मोबाईल नम्बर
1.	श्री ऋषि कुमार, प्रभारी जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., रायगढ़	99261-11396 93013-89479
2.	श्री अनुपेन्द्र प्रधान, ई-डिस्ट्रिक मैनेजर, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जिला कार्यालय रायगढ़	77708-00709

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक 3233A/कोरोना सेल/2020
प्रतिलिपि :-

रायगढ़ दिनांक 17/अप्रैल/2020

1. प्रमुख सचिव, छ0ग0शासन, स्कुल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को उनके अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 748, दिनांक 17.10.2020 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
3. सचिव, छ0ग0शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
4. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, -- मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
6. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायगढ़ जिला की ओर सूचनार्थ।
7. आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
8. सर्व कार्यालय प्रमुख जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
9. सर्व संबंधित श्री.....की ओर मय छ0ग0शासन, स्कुल शिक्षा विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 748, दिनांक 17.04.2020 संलग्न सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
10. सहायक संचालक जन संपर्क जिला रायगढ़ की ओर समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)